सं. 402/92/2006-एमसी (2010 का 34)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
***

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली दिनांक 9 जुलाई 2010

दीर्घकालीन अवसंरचना बांड

केंद्र सरकार ने निम्नलिखित द्वारा जारी किए जाने वाले बांडों को विनिर्दिष्ट किया है; (i) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम; (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम; (iii) अवसंरचना विकास वित्त कंपनी लिमिटेड; तथा
(iv) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में वर्गीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी; आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80गगच के प्रयोजन के लिए "दीर्घकालिक अवसंरचना बांड" के रूप में। इन बांड में बीस हजार रुपये तक का निवेश करदाता की कुल आय से कटौती के लिए पात्र होगा। यह कटौती अधिनियम की धारा 80ग, 80गगग और 80गगघ के तहत अनुमत एक लाख रुपये की कटौती के अतिरिक्त होगी।

बॉन्ड का कार्यकाल न्यूनतम दस वर्ष होगा, जिसमें निवेशक के लिए पाँच वर्ष की लॉक-इन अवधि होगी। बॉन्ड में निवेश हेतु ग्राहक द्वारा जारीकर्ता को स्थायी खाता संख्या प्रदान करना अनिवार्य होगा।

[अधिसूचना संख्या 48/2010 दिनांक 9 जुलाई 2010; एफ.सं.149/84/2010-एसओ (टीपीएल)]

XXX